ऑन लाईन नं. CCMS 2023/276

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 114/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री साई दास (विक्रेता) मैसर्स फूड बेकर्स इन्डस्ट्रीज, एच–54, रीको एरिया, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री साई दास (मालिक) मैसर्स फूड बेकर्स इन्डस्ट्रीज, एच–54, रीको एरिया, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52
निर्णय

दिनांक: 29.04.2023

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक सं./एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/487 दिनांक 18.08.2011 के द्वारा अधिकृत किया गया। एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर के आदेश कमांकः–संस्था/एफएसएसए/2021/258 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया और श्रीगंगानगर जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में आते हैं। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.03.2022 को समय दोपहर 03.00 बजे **मैसर्स फूड बेकर्स इन्डस्ट्रीज, एच–54, रीको एरिया, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर** पर पहुंचे, मौके पर **श्री अनिल दास पुत्र श्री साई दास (विकेता)** को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **मिल्क रस (गगन ब्रांड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने बैकरी के अंदर 400–400 ग्राम के पैक 10 बत्ते के कार्टूनों में प्रत्येक कार्टुन में 20 पैकेट **मिल्क रस (गगन ब्रांड)** को आमजन के बेचाने वास्ते होना बताया। **मिल्क रस (गगन ब्रांड)** में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **मिल्क रस (गगन ब्रांड)** का नमूना लेने की इच्छा विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए दरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान ने व तात्कालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता को विकय हेतु उपलब्ध **मिल्क रस (गगन ब्रांड)** 400–400 ग्राम के 4 पैकेट को विकेता से खरीद किया। विकेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **मिल्क रस (गगन ब्रांड)** का नगद भुगतान 160/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और तात्कालिन अधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **श्री अनील कुमार** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता **श्री अनील कुमार** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिल्क रस (गगन ब्रांड) 400—400 ग्राम** के चारों मूल पैकटों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के—1482** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के—1482** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री अनील कुमार** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :—:L.S./532/Act/2022/532 Dated 12.04.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1482 Misbranded Food** होना पाया गया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के पत्रांक आयुक्त/खा.सु.औ.नि./स.सी/2023/3048 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवर पाल सिंह को प्रकरण संस्थित करने हेतु अधिकृत किया हुआ है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण **श्री अनिल कुमार पुत्र श्री साई दास (विकेता) और श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री साई दास (मालिक) मैसर्स फूड बेकर्स इन्डस्ट्रीज, एच—54, रीको एरिया, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **मिल्क रस (गगन ब्रांड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.10.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ...गानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी संख्या–1 अनिल कुमार मै. फ्रूट पैकर्स इण्डस्ट्रीज, 554 रीको एरिया पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में विक्रेता तथा अप्रार्थी संख्या–2 देवेन्द्र कुमार पुत्र साईं राम उक्त फर्म का मालिक है। दिनांक 25.03.2022 को दोपहर समय 3 बजे प्रार्थी की दुकान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी आये और मिल्क रस (गगन ब्रांड) के बारे में पूछताछ की व शक के आधार पर प्रार्थी की दुकान से मिल्क रस गगन ब्राण्ड 400–400 ग्राम के चार पैकेट लिये और जांच हेतु भिजवाये। प्रार्थी को खाद्य पदार्थ के नमूने की दोबारा जांच करवा सकता है, इस अधिकार से अवगत नहीं करवाया जबकि प्रार्थी की दुकान पर किसी प्रकार का मिथ्या छाप वाला या अवमानक खाद्य पदार्थ नहीं था ना ही कोई मिथ्या छाप वाला खाद्य पदार्थ था। अप्रार्थी संख्या 1 अनिल कुमार प्रार्थी की दुकान का ना तो कर्मचारी है और ना ही पार्टनर है। वह स्वयं दुकान पर अन्य कोई सामान लेने आया हुआ था तथा अप्रार्थी संख्या–2 उस समय दुकान पर नहीं था। प्रार्थी काफी समय से कारोबार कर रहा है लेकिन आज तक प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई है। प्रार्थी ने दुकान पर मिथ्या छाप वाली या अमानक या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हुए खाद्य पदार्थ वस्तुओं को ना ही रखा है, ना ही उनका बेचान किया है जिससे मानव जीवन पर किसी प्रकार का संकट आये व मानव उपयोग के लिये असुरक्षित हो। प्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा नियमों व मानकों की पूर्णतः पालना की है। विभाग द्वारा जो मिल्करस (गगन ब्रांड) के नमूने लिये हैं वह किसी प्रकार से मिथ्या छाप वाले नहीं है। पैकिंग के पीछे की तरफ समस्त जानकारी दी गई है कि मिल्क रस में कौन कौनसी वस्तुएं मिली हुई हैं तथा मिल्क रस में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। प्रार्थी द्वारा मिल्क रस की पैकिंग पर बैच नम्बर, नाम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट तथा सभी प्रकार के विवरण पैकिंग पर दिये हुए हैं। खाद्य पदार्थ मिथ्या छाप वाला व अमानक नहीं था और ना ही उसमें कोई बाह्य पदार्थ मिले हुए थे जो मानव जीवन को संकट पहुंचाने वाले हो।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण ने मिथ्या छाप वाला खाद्य पदार्थ ना तो रखा है और ना ही कभी उसका बेचान किया है, इसलिये उक्त परिवाद पत्र खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **मिल्क रस (गगन ब्रांड)** का सैम्पल **K-1482** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./ 532/Act/2022/532 Dated 12.04.2022 **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जि... श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त से लिया गया Sample of **Milk Rusk(Gagan)** bearing code No. K-1482 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of** Food Safety and Standards Act, 2006**.** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **अनिल कुमार पुत्र श्री साई दास (विक्रेता) और श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री साई दास (मालिक) मैसर्स फूड बेकर्स इन्डस्ट्रीज, एच–54, रीको एरिया, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (II) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्तगण को राशि रूपये 25,000–00 (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थो से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0),
श्रीगंगानगर।
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर